उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टी सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ

F85654

संदर्भ संख्या.............................सी–1 / एन0ओ0सी0–1061 / 2016 |||

पंजीकृत दिनांक 12-8-16

सेवा में,

मै0 साया होम्स प्रा0लि0,
प्लाट संख्या जीएच–11, अहिंसा खण्ड–2,,
अपोजिट शिप्रा सन सिटी, इन्दिरापुरम,
जनपद–गाजियाबाद ।

विषयः <u>पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से आवासीय परियोजना की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.04.2016 एवं अन्तिम सूचना प्राप्ति तिथि 27.07.16 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि परियोजना/उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन के साथ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत स्थापनार्थ सहमति (एन0ओ0सी0) स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा हैः–

(क) **स्थलः**– मै0 साया होम्स प्रा0लि0, द्वारा प्रस्तावित आवासीय परियोजना " साया गोल्ड एवेन्यू " प्लाट नं0 10 (10 / 1), वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।

(ख) **उत्पादनः**– प्रस्तावित 20036 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल, बिल्टअप एरिया 230732.981 वर्गमीटर निर्माण ।

ग) **मुख्य कच्चे मालः**– बिल्डिंग मैटेरियल।

(घ) **घरेलू उत्प्रवाह की मात्राः**– 649 के0एल0डी0 ।

(ड.) **प्रयुक्त ईंधनः**– 1010 के0वी0ए0 क्षमता का 03, तथा 1250 के0वी0ए0 के 01 डी0जी0 सेट हेतु डीजल आवश्यकतानुसार ।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. परियोजना / उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुकिरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें ।

3. परियोजना / उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन / संचालन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें । जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन / संचालन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन / संचालन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये । यदि परियोजना / उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत परियोजना / उद्योग के विरूद्व बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है ।

4. परियोजना / उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये ।

For Saya Homes Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

5. मै0 साया होम्स प्रा0लि0 "साया गोल्ड एवेन्यू" आवासीय परियोजना प्लाट संख्या 10 (10/1), वैभव खण्ड इन्दिरापुरम गाजियाबाद में 20036 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल पर बिल्टअप एरिया 230732.981 वर्गमीटर का निर्माण किया जायेगा । निर्माण कार्य में भूगर्भ जल का प्रयोग नहीं किया जायेगा । गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित एस0टी0पी0 के शुद्धिकृत सीवेज का प्रयोग निर्माण कार्य में किया जायेगा ।
6. परियोजना द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुसार 649 के0एल0डी0 सीवेज के शुद्धिकरण हेतु 400 किली0/दिन क्षमता (प्रत्येक) के दो एस0टी0पी0 स्थापित किया जाये । शुद्धिकृत सीवेज को फ्शिंग, हरित पट्टिका की सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनों में अधिकाधिक रिसाइकिल किया जाये एवं शेष उत्प्रवाह को सीवर लाइन में निस्तारण करें जिसके लिये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाये ।
7. परियोजना निर्माण के दौरान डस्ट नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिन्कलर की व्यवस्था की जाये एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/कार्यालय द्वारा जारी गाइड लाइन मेमोरण्डस 2010 का पालन किया जाये ।
8. परियोजना निर्माण गतिविधियों में लगें अस्थायी श्रमिकों के भोजन निर्माण हेतु एल0पी0जी0 की व्यवस्था की जाये तथा उनके सीवेज के निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की व्यवस्था की जाये ।
9. परियोजना द्वारा सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी0जी0 सेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।
10. परियोजना द्वारा सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एम0एस0डब्लू रूल्स 2000 के प्राविधानों के अनुसार करें ।
11. नगरीय ठोस अपशिष्ट को पृथक्करण के उपरान्त रिसाइकिलेबिल वेस्ट को अथराइज्ड वेन्डर्स तथा शेष सालिड वेस्ट को जी0डी0ए0 द्वारा अधिकृत एजेंन्सी को निस्तारण हेतु दिया जाये ।
12. परियोजना में समस्त प्रस्तावित डी0जी0 सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ–साथ निर्धारित मानकों के अनुसार निकटतम छत से 6.0 मीटर ऊँची चिमनी स्थिापित की जाये ।
13. परियोजना द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें एवं हरित पट्टिका का प्रस्ताव प्रेषित करें ।
14. परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समिति से नियमानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित् करें ।
15. परियोजना द्वारा केन्द्रीय भूजल बोर्ड से एन0ओ0सी0 प्राप्त किया जाये ।
16. परियोजना द्वारा अग्नि शमन विभाग एवं भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से एन0ओ0सी0 प्राप्त किया जाये ।
17. आवासीय परियोजना हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।
18. Unit will put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building for effective and efficient control of dust emission generated during construction of the project.
19. Storage of any construction material particulary sand will not be done on any part of street and roads in the projects area. The construction material of any kind stored on site will be fully covered in all respect so that it does not disperse in the air in any form.
20. All the construction material & debris will be carried in trucks or vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or construction material does not get dispered into the air or atmosphere in any form whatsoever.
21. The dust emission from the construction sites will be completely controlled and all precautions will be taken in that behalf.
22. The vehicles carrying construction debris or construction material of any kind will be cleaned before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
23. Every worker working on the construction site and involved in loadin, unloading and carriage of construction debris or construction material shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particle.
24. All medical help, investigation and treatment will be provided to the workers involved in the construction of building and carrying of construction of building and carrying of construction debris or construction material related to dust emission.
25. The transportation of construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place will be carried out in accordance with rules.
26. Fixing of sprinklers and creation of green air barriers will be done to control fugitive dust emission and improve environment.

For Saya Homes Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

27. Compulsory use of wet jet in griding and stone cutting will be practiced.
28. Wind breaking wall will be constructed around the construction site.
29. Green belt will be developed around the buildings as per rules.
30. All approach road & in campus roads should be sprinkled with water to suppress the dust emission.
31. अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों एवं बोर्ड में जमा बैंक गारण्टी सं0 0007BGFD004417 दिनांक 21.07.2016 रू0 10.0 लाख मात्र में वर्णित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में परियोजना/उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 05.10.2016 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय

(एस0सी0 यादव)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0. एन0ओ0सी0 तद दिनांक

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)

For Saya Homes Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।

पत्रांकःआर-39/डी00डी0/जीबीएन-15(गा0बाद)/941 दिनांकःजून 6 ,2015

सेवा मे,

वास्तुविद नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषयः मैसर्स शिप्रा स्टेट लि0 द्वारा टाईप-सी प्लाट न0-10 (10/1) वैभवखण्ड इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

यूआईडीः 2015/10449/जीजैडबी/गाजियाबाद/622/जेडी

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी वैशाली जनपद गाजियाबाद से कराया गया तथा उनकी आख्या पत्र संख्याः भ-10/एफएसवी-2015 दिनांकः 04-06-2015 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 05-06-2015 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत हैः-

भवन की संरचनाः-

1-कुल प्लाट एरिया-20,036.00 वर्ग मी0 है, जिसमे प्रस्तावित भवन/ ब्लाक का फ्लोरवाईज एरिया निम्नवत हैः-

कमांक	नाम ब्लाक	तलो की संख्या	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	स्टेयर की संख्या एवं चौडाई मी	भवन की ऊँचाई मी
1	एस0जी0-1	03बी+एस+पी+34	504.508/470.354	02अदद-1.50/1.50	122.20
2	एस0जी0-2	03बी+एस+पी+36	593.087/372.516	02अदद-1.50/1.50	128.50
3	एस0जी0-3	03बी+एस+पी+39	430.700	02अदद-1.50/1.50	137.95
4	एस0जी0-4	03बी+एस+पी+41	584.649	02अदद-1.50/1.50	144.25
5	एस0जी0-5	03बी+एस+पी+41	584.649	02अदद-1.50/1.50	144.25
6	एस0जी0-6	03बी+एस+पी+39	430.700	02अदद-1.50/1.50	137.95
7	एस0जी0-7	03बी+एस+पी+36	634.577/573.895	02अदद-1.50/1.50	128.50
8	एस0जी0-8	03बी+एस+पी+34	504.508/470.354	02अदद-1.50/1.50	122.20

बेसमेन्टः- प्रश्नगत भवन मे 03 बेसमेन्ट प्रस्तावित है, प्रत्येक का आच्छादित क्षेत्रफल-16264.682 वर्ग मी0 है।

भवन का अधिभोग विवरणः-प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 की ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः-

1-पहुँच मार्गः- प्रश्नगत भूखण्ड जी0डी0ए0 द्वारा स्वीकृत टाउनशिप का भाग है जिसके सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 36 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है, जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है।

2-प्रवेश द्वारः-प्रश्नगत भवन मे प्रवेश एवं निकास द्वार प्रस्तावित है जिनकी चौडाई-6.00 मी0 है।

3-सैटबेकः- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः-

अग्रभाग-15 मी0।
पृष्ठ भाग-09.00 मी0।
पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0।
पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी0।

For Saya Homes Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित सैटबेक भवन जी0डी0ए0 भवन निर्माण विनियमावली मानको के अनुसार है तथा टावर के बाहय भाग मे 7.5 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान दर्शाया गया है, तथा आन्तरिक भाग मे पोडियम को अग्निशमन वाहनों हेतु हार्ड लैण्डस्केप एरिया दर्शाया गया है जिसको निर्माण के दौरान हार्ड सरफेस युक्त बनाया जाना अनिवार्य होगा तथा सैटबेक मे किसी प्रकार का स्थायी/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा, बेसमेन्ट की छत अग्निशमन वाहनों की भार क्षमता हेतु न्यूनतम 75 टन क्षमता की निर्मित की जानी अनिवार्य होगी।

3- निकास मार्गः- प्रस्तावित ब्लाक मे 02 स्टेयरकेश प्रस्तावित है जिनकी चौडाई 1.5 मी0 प्रस्तावित है, जिनकी फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा तथा 02 अदद रैम्प का भी प्राविधान किया गया है। बेसमेन्ट मे जानी वाली स्टेयर एवं लिफट मे लाबी का प्राविधान करते हुये उसको फायर चैकडोर युक्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4- रिफ्यूज एरियाः- भवन मे रिफ्यूज एरिया हेतु बालकानी का प्राविधान किया गया है जो एन0बीसी0 मानक के अनुसार रिफ्यूज एरिया हेतु मान्य है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः- प्रश्नगत भवन मे एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएें कराया जाना वॉछनीय है।

1–भूमिगतः–प्रश्नगत भवन मे 3,50,000 तीन लाख पचास हजार लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 एवं उसमे सन्दर्भित बी0आई0एस0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

2–पम्पसः–भूमिगत टैंक के पास 4450 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प वॉच्छनीय है तथा पम्प का हैड भवन की ऊँचाई के अनुसार रखना अनिवार्य होगा।

3–टेरिस टैंकः–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

(प्रश्नगत भवन मे अग्निशमन हेतु वॉच्छनीय भूमिगत टैंक एवं पम्प हेतु एन0बी0सी0–2005 मे होने वाले संशोधन के अनुसार प्राविधानित व्यवस्थाओं का समायोजन अनिवार्य होगा)

4–होजरीलः– प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

5–वेटराईजरः– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0–3844 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–यार्ड हाईड्रेण्टसः– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

8–आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टमः– प्रश्नगत भवन मे सम्पूर्ण तलो पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

9–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

10–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।

11–स्मोक एक्स्ट्रेंक्शनः– प्रश्नगत भवन मे 03 बेसमेन्ट प्रस्तावित है जिसमे मैकेनिकल वेन्टीलेशन हेतु स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

12–एग्जिट साईनेजः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय

13–पी0ए0 सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

14–हैलीपेडः– प्रश्नगत भवन मे हैलीपैड का प्राविधान एन0बी0सी0 मानक के प्रस्तर सी0–10 के अनुपालन मे वॉच्छनीय है।

15–प्रश्नगत भवन मे इमरजेन्सी / स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0–2005 पार्ट–4 मे उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

16–भवन मे निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट–4 के प्रस्तर सी0–5,सी–6,सी–7,सी–8 एवं सी–9 मे उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।

17–भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा श्रोत से पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुयें जोडा जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स शिप्रा स्टेट लि0 द्वारा टाईप–सी प्लाट न0–10 (10/1) वैभवखण्ड इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद मे प्रस्तावित आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र।

(पी0के0राव)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ।

For Saya Homes Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

प्रतिलिपिः 1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–अग्निशमन अधिकारी वैशाली, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4– मैसर्स शिप्रा स्टेट लि0 द्वारा टाईप–सी प्लाट न0–10 (10/1) वैभवखण्ड इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

BY Regd Post

AAI/NOC/2011/567 /5075

Date : 20-01-2012

23

Shipra Estates Ltd.,
Shipra mall, 9, Vaibhav Khand,
Indirapuram,
Ghaziabad-201012 (U.P)

SUBJECT:- NO OBJECTION CERTIFICATE - (FOR HEIGHT CLEARANCE ONLY)

Sir,

Please refer to your letter no SEL/NOC/AAI/GZB/11dated 09-12-2011 on the subject mentioned above.

This office has no objection to the construction of the proposed Construction of Group Housing by M/s. Shipra Estates Ltd. herein after referred to as the applicant(s) at location Plot No-10, Vaibhav Khand, Indrapuram, Ghaziabad,U.P(Co-ordinates- 28 38 07 N 77 22 00 E) for a height of 180.00 Mts. (in figure) One Hundred Eighty Decimal Zero Zero Meter (in words) above ground level so that the top of the proposed structure when erected shall not exceed 201.00 Mts (site elevation) plus(+) 180.00 (height of structure)= 381.00 Mts. above mean sea level.

This no objection certificate is being issued on the express understanding that the site elevation (height above mean sea level) viz 201.00 Mts. relative location of the proposed building/structure & its distances and bearings from ARP/ Runway ends, as tendered by the applicant(s) are correct. If, however, at any stage it is established that the said data as tendered & which could adversely effect aircraft operations, the structure or part(s) thereof in respect of which this 'No Objection Certificate' is being issued will have to be demolished at his own cost as may be directed by the Airports Authority of India. The Applicant(s) are therefore advised in his /their own interest to verify the elevation and other data furnished for the site, before embarking on the proposed construction.

The issue of this 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and those of any notifications issued there under from time to time and under which also the applicant may be called upon by the Airports Authority of India (National Airports Division) to demolish in whole or in part the structure now being authorized vide this 'No Objection Certificate'.

The use of electric fire or oil fired furnace is obligatory.

This certificate is valid for a period of five years from the date of issue. If the building /structure /chimney is not constructed & completed within the above mentioned period of five years, you will be required to obtain a fresh 'No Objection Certificate' from the Airports Authority of India(National Airports Division) and/or the General Manager, Aerodromes, Northern Region. The date of completion of the building/ structure/chimney should be intimated to the Airports Authority of India and/or the General Manager, Aerodromes, Northern Region.

No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time during or after the construction of the building.

Day & Night markings with secondary power supply may be provided as per ICAO Standard.

"The permissible top elevation/height includes height for superstructures(eg. Wireless, TV antennas, mumties, lift machine room, overhead water tank cooling towers etc.)"

NOTE:- THE SITE IS EXAMINED W.R.T IGI AIRPORT AND SAFDARJUNG AIRPORT ONLY.

20/1

(ABHIJIT BANERJI)
DY. GENERAL MANAGER (ATM-NOC)/NR

Copy to:- 1. The Chairman, Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, N.D
2. Chief Executive Officer, DIAL, New Uddan Bhawan, International T-3, Opp. ATS Complex, IGI Airport, New Delhi- 37.
3. Chief Architect Town Planner, GDA, Vikas Path Near Old Bus Stand, Gaziabad-201001
4. GM, Carto.Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, N.D.

DY. GENERAL MANAGER (ATM-NOC)/NR

For Saya Homes Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

AAI/RHQ/NR/ATM/NOC/REVALIDATION/2011/567/816-20

Date: 08.05.2017

To,
M/s Shipra Estates Ltd.
Shipra Mall, 9, Vaibhav Khand
Indirapuram
Ghaziabad-201012 (U.P)

Sub: Renewal/Revalidation of NOC Case no. AAI/NOC/2011/567/5075-79 dated 20/23-01-2012.

Sir,

Reference may please be made to your email dated 08.05.2017 on the above mentioned subject.

The NOC issued by this office vide letter no. **AAI/NOC/2011/567/5075-79 dated 20/23-01-2012,** for construction of **Group Housing by M/s Shipra Estates Ltd. at location Plot No. 10, Vaibhav Khand, Indrapuram, Ghaziabad, U.P,** is hereby extended upto 22-01-2020 under same terms and conditions as mentioned in the NOC dated 20/23-01-2012.

The Validity will not be extended beyond 22-01-2020.
This issue with the approval of the Competent Authority.

GPSingh 8-5-2017

(G.P.Singh)
Deputy General Manager (ATM-NOC)
For General Manager (ATM), NR

Copy to:
1. The Executive Director (ASM), AAI, Rajiv Gandhi Bhavan, Safdarjung Airport, New Delhi-110003.
2. The Chief Executive Officer, DIAL, New Udan Bhawan, Terminal-3, IGI Airport, New Delhi- 110037.
3. The Chief Architect Town Planner, GDA, Vikas Path Near Old Bus Stand, Ghaziabad-201001.
4. Guard File.

For Saya Homes Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

(I.S.O.9001:2008 एवं I.S.O.14001:2004 प्रमाणित संस्था)

प्रेषक, सहायक अभियन्ता जोन–6 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।	सेवा में, साया होम्स प्रा0लि0 10/1, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।
पत्र संख्या: 159/4/ए.ई.जोन–6/2014	दिनॉक : 10-8-15

विषय: जल–सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र के कम में अवगत कराना है कि सम्यक विचारोपरान्त निम्न शर्तों के साथ उपरोक्त भूखण्ड पर जल एवं सीवर संयोजन की अनुमति प्रदान की जाती है ।

1– दिनांक 01–05–15 से 31–03–16 तक का जल एवं सीवर अनुरक्षण शुल्क रू0 2,00,000/– (रूपये दो लाख मात्र) प्राधिकरण कोष में जमा कराने के उपरान्त ही कनैक्शन अनुमन्य होगा।

2– जल एवं सीवर संयोजन का उपयोग शमन /सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा।

3– अनुरक्षण शुल्क जमा न करने पर प्राधिकरण को कनैक्शन विच्छेदन करने का अधिकार होगा।

4– प्राधिकरण की नियम व शर्ते मान्य होंगी।

(सुहेल अहमद फरीदी)
सहायक अभियन्ता जोन–6

For Saya Homes Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

(I.S.O.9001:2008 एवं I.S.O.14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक : 154 / 4 / ई..ई.जोन–6 / 2015 दिनांकः 10-8-15

सेवा में,

विकास भसीन डायरेक्टर
साया होम्स, प्रा0लि0
भूखण्ड सं0–10 / 1, वैभवखण्ड
इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।

आपके पत्र दिनांक 6.8.15 के कम मेंअवगत कराना है कि भूखण्ड सं0–10 / 1, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के निर्माण हेतु एस0टी0पी0 के वाटर का प्रयोग एंव भविष्य में विभागीय नियमानुसार होने वाले सीवर संयोजन का निस्तारण इन्दिरापुरम स्थित 56 एम0एल0डी0 सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, जो वर्तमान में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित है, से किया जाएगा।

(सुहेल अहमद फरीदी)
सहायक अभियन्ता जोन–6

For Saya Homes Pvt. Ltd.
Authorised Signatory